कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 340/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 27.08.2026

थाना–जहानागंज, जनपद–आजमगढ़

□ थाना जहानागंज पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय

□ अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

➡□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.08.2026 को थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर तरछा पुलिया के पास से 01 शातिर अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र धुरीलाल निवासी ग्राम गभियाई, थाना आलापुर, जनपद बदायूं, उम्र करीब 31 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

➡□ तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 181/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरान्त मा0 न्यायालय भेजा गया।

➡□ गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी प्रकाश में आया है, जिसमें मु0अ0सं0 352/2024 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस, थाना जहानागंज तथा मु0अ0सं0 233/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज शामिल हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 दिनेश कुमार पाल, उ0नि0 अजय निषाद, का0 दुर्गादीन सरोज, का0 अजय गौड़ एवं रि0का0 रितेश प्रताप सिंह, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

थाना–अहरौला, जनपद–आजमगढ़

□ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 500 ग्राम का लोहे का बाट बरामद

➡□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 295/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

➡□ दिनांक 25.08.2026 को वादी सूर्य प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 विनय प्रकाश शुक्ला निवासी ग्राम गोपरी चांदपुर, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा तहरीर दी गई थी कि निजामपुर बाजार जाते समय रास्ते में शराब पी रहे आरोपियों द्वारा वाहन का हार्न बजाने को लेकर गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए लात-मुक्कों से मारपीट की गई तथा लोहे के भारी बाट से सिर पर वार कर घायल कर दिया गया।

➡□ उक्त घटना के संबंध में थाना अहरौला पर अभियोग पंजीकृत कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई थी। दिनांक 27.08.2026 को उ0नि0 यश सिंह पटेल प्रभारी चौकी माहुल मय हमराह हे0का0 सुरेन्द्र निषाद एवं का0 अरमान द्वारा सूचना पर रुपाईपुर ढाला के पास से अजय यादव उर्फ मन्टू पुत्र बांकेलाल यादव निवासी ग्राम मकदूमपुर, थाना अहरौला एवं अरुण यादव पुत्र स्व0 अमेरिका यादव निवासी ग्राम तरकुलहा, थाना अहरौला को प्रातः करीब 06:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡□ गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 500 ग्राम का लोहे का बाट बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 यश सिंह पटेल प्रभारी चौकी माहुल, हे0का0 सुरेन्द्र निषाद एवं का0 अरमान, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

थाना–अहरौला, जनपद–आजमगढ़

□ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, शादी से इनकार एवं जान-माल की धमकी देने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ थाना अहरौला पुलिस ने फुलवरिया अंडरपास से वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

➡□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 274/2026 धारा 69/352/351(3) बीएनएस एवं 3(1), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अबू सहमा पुत्र मकसूद अहमद निवासी चकबालाशाह, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

➡□ दिनांक 14.08.2026 को पीड़िता द्वारा थाना अहरौला पर तहरीर दी गई थी कि अबू सहमा पुत्र मकसूद अहमद निवासी चकबालाशाह, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तथा बाद में शादी करने से इनकार करते हुए गाली-गलौज एवं जान-माल की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर द्वारा की जा रही है।

➡□ दिनांक 27.08.2026 को उ0नि0 श्याम कुमार दुबे मय हमराह का0 वरुण कुमार द्वारा अभियुक्त अबू सहमा पुत्र मकसूद अहमद निवासी चकबालाशाह, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को फुलवरिया अंडरपास से समय करीब 10:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 श्याम कुमार दुबे एवं का0 वरुण कुमार, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

थाना–कोतवाली, जनपद–आजमगढ़

□ दीवानी न्यायालय परिसर से चोरी हुई मोटरसाइकिल के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

□ थाना कोतवाली पुलिस ने रोडवेज बस अड्डे से अभियुक्त शिवा मौर्या उर्फ मटेलू को किया गिरफ्तार

➡□ *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में अपराध एवं वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

➡□ घटना के संबंध में वादी *पिन्टू गोस्वामी पुत्र शिवपूजन निवासी ग्राम उसूरकुढवा, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़* द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गई थी कि दिनांक 27.08.2026 को वह अपने मुकदमे की तारीख देखने अपने पिता के साथ दीवानी न्यायालय आया था। उसने अपनी *मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रजि0 नं0 UP50 AP 2264* को जजी मैदान की पार्किंग में खड़ा किया था। न्यायालय से वापस आने पर मोटरसाइकिल मौके से गायब मिली, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

➡□ उक्त मुकदमे में विवेचना एवं गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम *उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, का0 अंशुमान सिंह एवं का0 मनीष कुमार सिंह* द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 27.08.2026 को समय करीब 11:10 बजे *शिवा मौर्या उर्फ मटेलू पुत्र पप्पू मौर्या निवासी शंकर तिराहा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष* को रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 327/2026 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, का0 अंशुमान सिंह एवं का0 मनीष कुमार सिंह, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना–फूलपुर, जनपद–आजमगढ़
□ अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार
□ थाना फूलपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान .315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद किया

➡□ *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में अवैध शस्त्रों की तस्करी/रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.2026 को 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया।

➡□ उ0नि0 उमाशंकर यादव मय हमराह हे0का0 अवधेश यादव, का0 अमन सिंह एवं का0 हरिकिशन मौर्य द्वारा चेकिंग के दौरान *मुड़ियार को जाने वाले खड़ंजा रास्ता, ग्राम सदरपुर बरौली से चन्दन सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम खुटौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष* को समय करीब 22:35 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡□ गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से *01 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर* बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना फूलपुर पर *मु0अ0सं0 267/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट* पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

➡□ गिरफ्तार अभियुक्त *चन्दन सिंह* का आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया है, जिसमें आर्म्स एक्ट एवं मारपीट/धमकी से संबंधित *कुल 08 अभियोग* थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत हैं।
गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:
उ0नि0 उमाशंकर यादव, हे0का0 अवधेश यादव, का0 अमन सिंह एवं का0 हरिकिशन मौर्य, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मुकदमे में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद

पूर्व की घटना-
दिनांक 27.08.2026 को वादी मुकदमा मो0 सैफ पुत्र मो0 तैय्यब निवासी ग्राम कुशहाँ, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 26.08.2026 को उनके पिता मो0 तैय्यब भैंस का गोबर घर से निकालकर बाहर फेंक रहे थे। इसी दौरान अबू हम्जा पुत्र फिरोज अहमद निवासी कुशहा द्वारा गोबर बाहर फेंकने से मना करते हुए गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर अबू हम्जा, अतिकुर्रहमान उर्फ अतीक पुत्र सुहेल तथा मो0 उमर पुत्र अतिकुर्रहमान द्वारा मो0 तैय्यब के साथ मारपीट की गई। घटना की जानकारी होने पर वादी अपने दोस्त मो0 सारिक के साथ मौके पर पहुंचा और घटना के संबंध में पूछताछ की, जिस पर तीनों अभियुक्तों द्वारा वादी पर लाठी-डण्डे से हमला कर दिया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों द्वारा बीच-बचाव किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई।
उक्त प्रकरण के संबंध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 268/2026 धारा 109(1)/115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सतेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.08.2026 को उ0नि0 सतेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा इब्राहिमपुर मोड़ से समय करीब 09:30 बजे मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों **1. मो0 उमर पुत्र अतिकुर्रहमान उर्फ अतीक, उम्र करीब 19 वर्ष एवं 2. अतिकुर्रहमान उर्फ अतीक पुत्र सुहेल, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासीगण ग्राम सतुवहिया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़** को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 268/2026 धारा 109(1)/115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त-
1-मो0 उमर पुत्र अतिकुर्रहमान उर्फ अतीक, निवासी ग्राम सतुवहिया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
2- अतिकुर्रहमान उर्फ अतीक पुत्र सुहेल, निवासी ग्राम सतुवहिया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।
बरामदगी- 01 अदद डण्डा (घटना में प्रयुक्त)
गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 सतेन्द्र कुमार, का0 अनुपम सिंह, का0 मुनीब यादव, का0 अरविन्द कुमार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–गम्भीरपुर, जनपद–आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के ₹ 8,426/- पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

थाना गम्भीरपुर क्षेत्र के ग्राम बैराडीह उर्फ गम्भीरपुर निवासी जितेन्द्र यादव पुत्र कृपाशंकर यादव के यूनियन बैंक खाते से फोन-पे के माध्यम से फर्जी कॉल के जरिए ₹1,27,998.01 की साइबर ठगी की गई थी। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में साइबर टीम गम्भीरपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की धनराशि के सम्बन्ध में जांच की गई तथा साइबर टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान ₹8,426/- की धनराशि फ्रॉडस्टर के खाते में फ्रीज कराई गई। तत्पश्चात नियमानुसार **₹8,426/- की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।**

साइबर टीम गम्भीरपुर- थानाध्यक्ष गम्भीरपुर अमित कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी, रि0म0का0 आकांक्षा सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।